बालवाटिका का यू-डायस पोर्टल पर दर्ज होगा विवरण

पोर्टल के सेक्शन-4 में दर्ज किया जाएगा हर बच्चे का विवरण

लखनऊ। प्रदेश में बालवाटिकाओं में नामांकित बच्चों का विवरण डिजिटल पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। परिषदीय विद्यालयों में शुरू की गई बालवाटिकाओं और को-लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों में नामांकित बच्चों का विवरण यू-डायस प्लस पोर्टल पर शत-प्रतिशत दर्ज कराया जाए। इसके लिए 15 दिनों की समय-सीमा निर्धारित की गई है।

महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने कहा है कि यू-डायस प्लस पोर्टल के स्टूडेंट मॉड्यूल के सेक्शन-4 में बालवाटिकाओं व कोलोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों में नामांकित बच्चों का विवरण दर्ज किया जाएगा। यह प्रक्रिया शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सांख्यिकी ब्यूरो के निर्देश में पूरी की जाएगी। संबंधित बच्चों के विवरण का सत्यापन करते हुए पोर्टल पर शत-प्रतिशत डेसटा दर्ज किया जाए उन्होंने सभी बीएसए को निर्देश दिए हैं कि डाटा एंट्री में सावधानी रखेंगे। विवरण का सत्यापन करने और विकासखंडवार प्रगति की नियमित समीक्षा भी की जाएगी। वरिष्ठ विशेषज्ञ (प्री-प्राइमरी), समग्र शिक्षा व मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों को भी डाटा की गुणवत्ता का नियमित अनुश्रवण करने के निर्देश दिए हैं।

इससे बालवाटिकाओं में नामांकित बच्चों का विवरण व्यवस्थित रूप से दर्ज करने और निर्धारित समय-सीमा में काम पूरा कराने को कहा गया है।ताकि दें कि यू-डायस पोर्टल पर इन बच्चों का भी विवरण आने से केंद्रीय योजनाओं के तहत बजट आवंटन की प्रक्रिया आसान होगी। साथ ही राज्य स्तर पर भी इन केंद्रों के विकास की कार्ययोजना तैयार की जा सकेगी। ब्यूरो

मतदाता बनाने के लिए 17 व 24 अक्तूबर को विशेष कैंप

अमर उजाला ब्यूरो

प्रदेश में सभी बूथों पर मौजूद रहेंगे बीएलओ, पंजीकरण के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे फॉर्म-6

लखनऊ। प्रदेश में नए मतदाता बनाने के लिए 17 अक्तूबर और 24 अक्तूबर को विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे। यह जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में पंजीकरण से छूटे हुए पात्र नागरिकों और पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं के नाम शामिल किए जाने के लिए प्रदेश में विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

विशेष कैंप दिवसों पर प्रदेश के प्रत्येक मतदेय स्थल पर बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक उपस्थित रहेंगे। कैंप में मतदाता पंजीकरण के लिए पर्याप्त संख्या में फार्म-6 उपलब्ध रहेंगे। आवेदन करने वाले पात्र नागरिकों को फॉर्म 6 के साथ नवीनतम फोटो, जन्मतिथि और पते से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराना जरूरी होगा।उन्होंने बताया कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी, जहां नागरिकों को फार्म-6 भरने और मतदाता पंजीकरण संबंधी प्रक्रिया में मदद की जाएगी। प्राप्त होने वाले सभी फार्मों को रिकॉर्ड में रखा जाएगा, ताकि आवश्यकता पड़ने पर पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण अधिकारियों को तत्काल ये अभिलेख उपलब्ध कराए जा सकें। रिणवा ने बताया कि विशेष कैंपों के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडिया का उपयोग किया जाएगा। सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों को भी कैंपों की तिथियों के संबंध में सूचित किया जाएगा। कैंपों के चयनित फोटो व वीडियो जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट व आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर अपलोड किए जाएंगे।अभियान की निगरानी के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी स्वयं और उप जिला निर्वाचन अधिकारी बूथों की निगरानी करेंगे। ब्यूरो

समान कार्य-समान वेतन की मांग को लेकर बॉन्ड डॉक्टरों व पुलिस में झड़प

लखनऊ। समान कार्य और समान वेतन की मांग कर रहे बॉन्ड डॉक्टरों का मंगलवार को पुलिस से झड़प हुई। जीपीओ पर प्रदर्शन कर रहे पुरुष और महिला डॉक्टरों को पुलिसकर्मियों ने पकड़कर खींचा और जबरन बसों में भर दिया।

महिला डॉक्टर विरोध करती रहीं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। साथी डॉक्टरों को पुलिस द्वारा खींचे जाते देख कई महिला डॉक्टर गाड़ी के सामने डटर बनकर खड़ी हो गईं। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उन्हें भी जबरन उठाकर बस में बैठा दिया। डॉक्टरों ने पुलिस पर अभद्रता, खींचातान और मारपीट के आरोप लगाए हैं।सीएचसी और पीएचसी में बॉन्ड के तहत तैनात एमबीबीएस डॉक्टर बीते कई दिनों से समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। मंगलवार को प्रदर्शन के दौरान पुलिस और डॉक्टरों के बीच झड़प हुई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बसों में बैठाकर अलग-अलग जगहों पर भेज दिया। ब्यूरो



हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को लेकर जा रही पुलिस वैन के सामने महिला डॉक्टर खड़ी हो गईं।



कौशल प्रशिक्षण का मूल्यांकन अब अनुदेशकों से कराया जाएगा

व्यावसायिक शिक्षा विभाग मूल्यांकन व्यवस्था में कर रहा बदलाव,- निजी संस्थाओं से मूल्यांकन व भुगतान में हो रही काफी दिक्कत

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश में भुगतान के चक्कर में अभी कौशल प्रशिक्षण पूरा करने वाले लगभग 50 हजार से अधिक युवाओं का मूल्यांकन नहीं हुआ है। इसकी वजह से वे किसी जगह भर्ती व नौकरी के लिए भी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं।

प्रशिक्षण पाने वाले युवाओं के मूल्यांकन में हो रही दिक्कत को देखते हुए व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग मूल्यांकन व्यवस्था में बदलाव करेगा।विभाग अब अनुदेशकों से कौशल प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं का मूल्यांकन कराएगा। कौशल विकास मिशन की ओर से प्रदेश भर में विभिन्न प्रशिक्षण एजेंसियों के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके बाद निजी एजेंसी व उद्योग के लोगों से उनका मूल्यांकन कराकर का अभी तक मूल्यांकन नहीं कराया गया है। इससे सर्वाधिक हेल्थ केयर व अपेरल के छात्र हैं। इसकी वजह से युवाओं को रोजगार पाने में दिक्कत आ रही है।इसका कारण मूल्यांकन करने वाली संस्थाओं का भुगतान न होना भी है। इसे देखते हुए विभाग मूल्यांकन व्यवस्था में ही बदलाव करेगा। अनुदेशकों से मूल्यांकन कराने से जहां समय पर युवाओं के प्रशिक्षण की मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी होगी। अनुपालन सुनिश्चित करने और प्रत्येक स्तर पर कार्यों की जवाबदेही तय करने को कहा। उन्होंने पांच रुपये से कम शू रेट वाले फीडरों की समीक्षा करने को कहा। सर्वाधिक लाइन हानि वाले 10 पोषकों पर प्राथमिकता से काम करने के निर्देश दिए गए। प्रत्येक निगम को राजस्व वृद्धि और लाइन हानि कम करने की ठोस कार्ययोजना बनानी होगी। बिलिंग व्यवस्था में गड़बड़ी रोकने पर विशेष जोर दिया गया। प्रबंध निदेशकों को प्रति सप्ताह 7 से 10 उपभोक्ताओं के बिलों की रैंडम जांच करने के निर्देश दिए गए। ब्यूरो

विभाग में हाल में हुई भर्तियों के बाद हमारे पास चार हजार से अधिक अनुदेशक हो गए हैं। शेष की तैनाती प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में अब अनुदेशकों से ही कौशल प्रशिक्षण का मूल्यांकन कराया जाएगा। अनुदेशकों को इसके लिए निर्धारित भुगतान मिलेगा। – **डॉ. हरिओम**, प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग

गुमशुदा



नाम गुमशुदा–शीलता देवी पति का नाम–विष्णु कुमार उम्र–65 वर्ष पता–गुलरिहा थाना गौरवां तहसील–पुरवा जिला उन्नाव। दिनांक घटना–09/10/2026, दिन रविवार हुलिया–रंग–गोरा, लम्बाई–5 फीट 3 इंच, आसमानी रंग की साड़ी पहने है तथा पैर में चप्पल।

आप सभी को सूचित किया जाता है कि मेरी पत्नी शीलता देवी पत्नी विष्णु कुमार निवासी गुलरिहा थाना गौरवां तहसील–पुरवा जिला उन्नाव की निवासिनी है। यह दिनांक 09.10.2026 दिन शनिवार समय सायं 6:20 बजे बिना किसी को बताये गायब हो गई है। जिसकी खोज रिश्तेदारों व आसपास के गांवों में की जा रही है चार दिन बीत गये है। कोई पता नहीं चला। जिस किसी को पता चले यह निम्न पते व नंबर पर सूचित करने की कृपा करें। बेचने वाले को उचित इनाम भी दिया जायेगा।

विष्णु कुमार
ग्राम–गुलरिहा, थाना गौरवां,
तहसील–पुरवा, जिला उन्नाव।
मो.–8787056400

केनरा बैंक Canara Bank

मोचन सूचना

आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ - 226010

यद्यपि अधोहस्ताक्षरी, जो कि केनरा बैंक, एजाएएम शाखा, लखनऊ का अधिकृत अधिकारी है, को अधिनियम के तहत नियुक्त किया गया है, इस अधिसूचना की अधिनियम की धारा 13(8) तथा सरफेसी नियमों के नियम 8(6) के साथ पठित करते हुए, आप सभी को निम्नानुसार जारी किया जाता है।

क्र. सं.	ऋणी/गारंटर/बंधककर्ता का नाम व पता	बंधक अचल/चल सम्पत्तियों का विवरण	बकाया धनराशि 13 (2) के अनुसार 13 (8) के अनुसार	मांग सूचना की तिथि कब्जे की तिथि
1	1. मेसर्स एस एस इंटरप्राइजेज (ऋणी), 357 सयाजपुर, त्रिवेणी पुली, हरदोई, उत्तर प्रदेश, 241123 2. श्री अजय कुमार सिंह (पार्टनर/गारंटर/बंधककर्ता) पुत्र शिव राज सिंह, एस-6, 13वीं स्ट्रीट, राजवीरो रोड, सैनिक नगर, लखनऊ, बी.आर.ए. यूनिवर्सिटी, उ.प्र.– 226025, 3. श्रीमती अनान सिंह (पार्टनर एवं गारंटर) पत्नी अजय कुमार सिंह, एस-6, 13वीं राजवीरो रोड, लेन 13, निकट तेलीबाग, सैनिक नगर, लखनऊ, बी.आर.ए. यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश - 226025	आवासीय संपत्ति भूमि एवं भवन) के सभी भाग व हिस्से, निहित प्लॉट सं. एस-6, खसरा सं. 407 की भूमि का भाग, स्थित सलेहे नगर, तेलीबाग, वार्ड- आरया नगर, जिला: लखनऊ. **क्षेत्रफल: 167.286 वर्ग मी.,** **संपत्ति की चौहद्दी (सेल डीड के अनुसार):- पूर्व:** प्लॉट सं. एस-5, **पश्चिम:** प्लॉट सं. एस-7, **उत्तर:** प्लॉट सं. एस-2, **दक्षिण:** 20.0 फीट चौड़ी रोड, **सामायिक धारक का नाम: श्री अजय कुमार सिंह पुत्र शिव राज सिंह**	₹ 91,34,869.40 + उस पर ब्याज ₹ 87,71,437.85 30.09.2026 तक + अग्रिम ब्याज, लागत व खर्चे	04.07.2026 16.09.2026
	उपरोक्त मोचन नोटिस दिनांक: 05.10.2026			
2	1. श्री विनय झा (ऋणी एवं बंधककर्ता) पुत्र श्री सुरेश झा, मकान नं. 116/601, आनंद नगर, रावतपुर गाँव, कानपुर नगर-208019। 2. श्री विनोद झा (ऋणी एवं बंधककर्ता) पुत्र श्री सुरेश झा, मकान नं. 117/क्यू/23, इंदिरापुरी, शारदा नगर, काकादेव, नवीन नगर, कानपुर-208025।	कौशलपुरी, कानपुर स्थित प्लॉट सं. 118/258 पर निर्मित प्रथम तल पर स्थित फ्लैट सं. 102, क्षेत्रफल 61.59 वर्ग मी. तथा भूमि में 18.79 वर्ग मी. का अविभाजित हिस्सा शामिल है। उक्त संपत्ति प्लॉट सं. 100, ब्लॉक GFW क्षेत्र, जुहो योजना-1, कानपुर में स्थित है **चौहद्दी:- पूर्व:** खुला आकाश **पश्चिम:** फ्लैट सं. 101 **उत्तर:** प्लॉट सं. 100 का हिस्सा **दक्षिण:** साझा रास्ता **सामायिक धारक का नाम:श्री विनोद झा पुत्र श्री सुरेश झा**	₹ 26,49,420.37 + उस पर ब्याज ₹ 34,06,408.84 01.10.2026 तक + अग्रिम ब्याज, लागत व खर्चे	03.04.2023 26.06.2023
	उपरोक्त मोचन नोटिस दिनांक: 06.10.2026			

सरफेसी अधिनियम, 2002 तथा सरफेसी नियमों के नियम 8(6) के प्रावधानों का अनुपालन करने हेतु, आप सभी को यह अंतिम अवसर दिया जाता है कि आपको इस अधिसूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर, प्रतिभूति ऋणदाता के कब्जे में प्रतिभूति परिसंपत्तियों को पुनः प्राप्त करने एवं मोचन हेतु 13(8) के अनुसार बकाया राशि तथा उसके उपरांत लगने वाले ब्याज, लागत एवं अन्य व्यय को पूर्ण रूप से चुकाना होगा। यदि आप ऐसा करने में, तो अधिनियम के तहत बिक्री सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी, जिसमें प्रतिभूति परिसंपत्तियों की बिक्री निम्नलिखित में से किसी एक विधि द्वारा की जाएगी:

(i). इसी प्रकार की प्रतिभूति परिसंपत्तियों से संबंधित व्यक्तियों से कोटेशन प्राप्त करके या अन्य इच्छुक खरीदारों से, या **(ii).** सार्वजनिक रूप से निविदाएं आमंत्रित करके, या **(iii).** सार्वजनिक नीलामी द्वारा ई-नीलामी के माध्यम से, या **(iv).** निजी सौदे के माध्यम से

अधिनियम की धारा 13(8) के अनुसार, आपको यह अधिकार है कि आप समाचार पत्रों में बिक्री सूचना प्रकाशित होने की तिथि से पहले प्रतिभूति परिसंपत्तियों का मोचन कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो अधिनियम की धारा 13(8) के अनुसार गिरवी रखी गई संपत्ति के पुनः प्राप्त करने का आपका अधिकार समाप्त हो जाएगा। यह प्रतिभूति ऋणदाता को इस अधिनियम/या वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के तहत उपलब्ध किसी भी अन्य अधिकारों से वंचित नहीं करता है।

स्थान: लखनऊ — प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

बैंक ऑफ़ इंडिया

Bank of India
रिश्तों की जमा पूंजी

ई-नीलामी विक्रय सूचना
सरफेसी अधिनियम 2002 के अंतर्गत

आंचलिक कार्यालय
128/24 ओम लक्ष्मी टॉवर, एच ब्लाक, किदवई नगर, कानपुर–208011, दूरभाष : 0512–2985004

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6(2) एवं 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूति करण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय सूचना आम लोगों को तथा विशेष रूप से ऋणी (यों), जमानतकर्ता (ओं) को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो बैंक के ऑफ इण्डिया के पास गिरवी / प्रभारित है, का भौतिक / सांकेतिक कब्जा बैंक ऑफ इण्डिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **"जहां है, जैसी है एवं जो कुछ भी है"** के आधार पर नियम 13(2) के अन्तर्गत मांग सूचना वर्णित बकाया राशि एवं उस पर ब्याज, खर्च एवं व्ययों की वसूली हेतु विक्रय की जायेगी। सम्पत्ति का विवरण नीचे दिया गया है, आरक्षित मूल्य एवं धरोहर धनराशि सभी सम्पत्तियों के आगे अंकित है।

क्र. सं.	जमानतदार का नाम, मांग नोटिस दिनांक व राशि एवं कब्जा दिनांक/कब्जे का प्रकार	बंधक रखी सम्पत्ति का विवरण एवं सम्पत्ति के बंधककर्ता का नाम/ऋणी	आरक्षित मूल्य (लाख में) धरोहर राशि (लाख में) बोली वृद्धि राशि
	मंगतखेड़ा शाखा, ग्राम मंगतखेड़ा पोस्ट वैगांव तहसील–पुरवा, जिला–उन्नाव–209825		
1.	**ऋणी:** श्री मोहम्मद हारून खान पुत्र अब्दुल समद खान **जमानतकर्ता:** श्रीमती शाहीन हारून पत्नी मोहम्मद हारून खान **मांग सूचना दिनांक: 05.10.2024** **राशि: रू. 11,31,227.14** + ब्याज दिनांक 05.10.2024 से देय एवं अन्य खर्चे (बाद में वसूली की गई राशि घटाकर) **कब्जा दिनांक: 24.01.2025 / सांकेतिक**	सभी भूमि एवं भवन स्थित म्युनिसिपल सं. निल, मोहल्ला वजीरगंज, परगना एवं तहसील पुरवा, उन्नाव– 209825 **मालिक:** श्री मोहम्मद हारून खान पुत्र अब्दुल समद खान **विक्रय विलेख के अनुसार क्षेत्रफल: 193 वर्ग मीटर** **संपत्ति की चौहद्दी: पूर्व:** नंजुन का मकान, **पश्चिम:** सड़क, **उत्तर:** सैयद नासिर अली का मकान, **दक्षिण:** सैयद नासिर अली का मकान	रू. 37.06 रू. 3.71 रू. 25,000/–

उपरोक्त सभी सम्पत्तियों हेतु धरोहर राशि जमा करने की अन्तिम तिथि 25.11.2026 शाम 04.00 बजे तक
उपरोक्त सभी सम्पत्तियों की ई–नीलामी दिनांक 26.11.2026 को समय प्रातः 11 बजे से शाम 5.00 बजे तक
(5 मिनिट अन्तराल के असीमित विस्तार के साथ)

विक्रय की नियम एवं शर्तः– 1. यह ई–नीलामी **"जहां है, जैसी है" एवं "जो कुछ भी है"** के आधार पर हो रही है। 2. प्राधिकृत अधिकारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास तक नीलामी की जा रही सम्पत्ति शर्त गुण है फिर भी इच्छुक निविदाकर्ता को चाहिए की ई–नीलामी में भाग लेने से पूर्व स्वतन्त्र रूप से सभी भार, टाईटल क्लेम सांविधिक देयतायें (सीमा शुल्क एवं उत्पाद कर/आयकर एवं या अन्य कोई सरकारी एजेंसी) आदि की स्वयं जांच कर ले। सभी सम्पत्तियां सभी वर्तमान एवं भविष्य के ज्ञात अथवा अज्ञात भारों के साथ बेची जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी किसी भी प्रकार के तृतीय / अन्य पक्षकार के क्लेम अधिकार एवं देनदारियों के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। 3. यह निविदाकर्ताओं का उत्तरदायित्व है कि ई–नीलामी में भाग लेने से पूर्व सम्पत्ति का निरीक्षण कर पूर्ण रूप से संतुष्ट हो लें। सम्पत्ति के निरीक्षण के लिये बैंक ऑफ इण्डिया की संबंधित शाखा से सम्पर्क कर सकते है। 4. इच्छुक निविदाकर्ता बैंक पोर्टल **https://www.BAANKNET.com** पर रजिस्टर करके आपना यूजर आईडी एवं पासवर्ड निशुल्क प्राप्त कर सकेंगे तथा इसी पोर्टल के माध्यम से ईएमडी जमा की जा सकती है। 5. बैंक पोर्टल में पंजीकरण के पश्चात इच्छुक निविदाकारों निम्नलिखित दस्तावेजों को निर्दिष्ट प्रस्तुत करने से पूर्व बैंक पोर्टल में अपलोड कर दे। 1. पैन कार्ड की प्रति, 2. आईडी प्रूफ (केवाईसी) फ्रेफ– स्वयं सत्यापित आधार कार्ड/ वोटर आईडी कार्ड/ ड्राईविंग लाईसेन्स / पासपोर्ट आदि। 6. ई–नीलामी प्रक्रिया में केवल वैध यूजर आईडी, पासवर्ड धारक निविदाकर्ता ही भाग ले सकेंगे। 7. केवल वही इच्छुक निविदाकर्ता जिन्होने ईएमडी भुगतान दिनांक **25.11.2026** तक तय समय से कर दिया है, ही ई–नीलामी प्रक्रिया में भाग ले पायेंगे। 8. यदि सम्पत्ति का आरक्षित मूल्य रू 50 लाख तक है तो निविदाकारों निविदा की राशि रू. 25000/– के खण्ड में ही बढ़ा पायेंगे, इसी प्रकार यदि आरक्षित मूल्य रू. 50 लाख से अधिक है तो यह राशि रू. 50000/– होगी। 9. उच्चतम बोली लगाने वाले को प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति से सफल बोलीकर्ता घोषित किया जायेगा। जिसकी जानकारी उसे इलेक्ट्रिक मोड द्वारा उसके ईमेल पते पर दी जायेगी। 10. प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम बोली को भी स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा तथा किसी भी बोली को स्वीकार / निरस्त करने का अधिकार प्राधिकृत अधिकारी को ही होगा। 11. सफल बोलीकर्ता की ईएमडी राशि **BAANKNET** वॉलेट में ही रहेगी तथा सभी असफल बोलीकर्ता की राशि **BAANKNET** से वापस ली जा सकेगी। ईएमडी राशि पर **BAANKNET** द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा। 12. सफल बोलीकर्ता को विक्रय मूल्य (अर्थात अधिकतम बोली राशि) का 25 प्रतिशत (ईएमडी राशि सम्मिलित करके) तुरन्त जमा करना होगा। शेष बकाया राशि उसे 15 दिन या उसके अन्दर जमा करना होगा। सफल बोलीकर्ता द्वारा भुगतान में असफल रहने की स्थिति में उसके द्वारा जमा राशि बिना किसी पूर्व सूचना के जब्त कर ली जायेगी। 13. निविदाकर्ता को यह सलह दी जाती है कि निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व विस्तृत नियम एवं शर्तों की जानकारी **https://www.bankofindia.co.in, https://www.BAANKNET.com** से प्राप्त कर लें। 14. यदि विक्रय मूल्य 50 लाख रुपये या उससे अधिक है तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194–IA के अंतर्गत अधिकतम विक्रय मूल्य पर सफल बोलीदाता द्वारा टीडीएस कर देय होगा तथा सरकारी नियमों के अनुसार विक्रय मूल्य पर अतिरिक्त जीएसटी (जहां भी लागू हो) देय होगा। 15. इच्छुक निविदाकर्ता को पात्र सिद्ध के संबंधित उचित संशाधन होने चाहिए, इस संबंध में कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी। 16. बोली आरक्षित मूल्य के ऊपर ही स्वीकार की जायेगी।

ऋणकर्ताओं / जमानतदारों / बंधककर्ता को 30 दिन की बिक्री सूचना

उपरोक्त वर्णित उधारकर्ता / जमानतकर्ता / बंधककर्ता को धारा 13 (2) में वर्णित राशि नीलामी की तिथि के पूर्व भुगतान करने हेतु सूचना दी जाती है। राशि जमा करने में असफल रहने पर सम्पत्ति नीलाम कर दी जायेगी तथा शेष राशि मय ब्याज तथा लागत के साथ आपसे वसूल की जायेगी अथवा उधारकर्ता उपरोक्त दिनांक को बैंक द्वारा उनको उनके खाते में देय राशि की वसूली हेतु आयोजित नीलामी में भी भाग ले सकते हैं।

दिनांक: 05.10.2026 — स्थान: उन्नाव — प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया



विभिन्न योजनाओं में आवासीय/गैर आवासीय भूखण्डों का ई-ऑक्शन

पहले भूखण्ड देखें — फिर बोली लगाएं

844 भूखण्डों (प्लॉट्स) का **ई-ऑक्शन**

ई-ऑक्शन हेतु पंजीकरण अवधि 15.10.2026 पूर्वाह्न 11 बजे से 16.11.2026 अपराह्न 5 बजे तक

ई-ऑक्शन में बोली लगाने की अवधि 16.10.2026 पूर्वाह्न 11 बजे से 17.11.2026 अपराह्न 5 बजे तक

ई-ऑक्शन के माध्यम से विज्ञापित आवासीय/गैर आवासीय भूखण्डों का विवरण

क्र. सं.	योजना का नाम	क्षेत्रफल (वर्गमी.)	भू-उपयोग	भूखण्डों की सं.	न्यूनतम आरक्षित दर प्रति वर्गमी. (रु. में)
1	कैटिल कालोनी	144–925	दुग्ध व्यवसाय	5	15000–60000
2	न्यू ट्रांसपोर्ट नगर	90–2031.92	व्यवसायिक	220	38000
3	भागीरथी एवं जाह्नवी	112-50–5596.28	व्यवसायिक	97	50500–80850
4	किदवई नगर ब्लॉई-1	167.29	व्यवसायिक	11	90000
5	सुजातगंज	167-22–297.66	आवासीय	10	46000–50600
6	तात्याटोपे नगर	196.27–1353	व्यवसायिक	21	71000
7	यूएपीअूडीएपी० (कार्गिल पेट्रोल पम्प)	2093	ग्रुप हाउसिंग	1	51000
8	यूएपीअूडीएपी० (कार्गिल पेट्रोल पम्प)	2799–4662	मिक्स्ड यूज	2	75000
9	यूएपीअूडीएपी० (कार्गिल पेट्रोल पम्प)	9159	शॉपिंग मॉल/मिक्स्ड यूज	1	75000
10	यूएपीअूडीएपी० (कार्गिल पेट्रोल पम्प)	2326	होटल	1	65000
11	बर्रा, केएूडीपीए० साईट नं०-2	6000	हेल्थ सेंटर, कॉमर्स प्लॉट	1	75000
12	बर्रा-2	86.36–600	व्यवसायिक	5	65000–75000
13	बिनगवां मौरंग मंडी	98–400	व्यवसायिक	14	60000–72600
14	सकरापुर	3004.55–3071.90	ग्रुप हाउसिंग	2	40500
15	सकरापुर	6088.25	ग्रुप हाउसिंग, कॉमर्स	1	42525
16	महर्षि दयानन्द विहार	66	आवासीय	1	38000
17	केडीए०८ कालोनी आजाद नगर	41.86	व्यवसायिक	1	52500
18	राम गंगा इम्लेव पार्ट-1	30	आवासीय	7	40000
19	राम गंगा इम्लेव पार्ट-1	60	आवासीय	20	40000
20	राम गंगा (शताब्दी नगर) फेस-3	30	आवासीय	1	40000
21	रतनपुर विस्तार पार्ट-2	30	आवासीय	3	40000
22	शताब्दी नगर फेस-1	112.50	आवासीय	1	40000
23	शताब्दी नगर सेक्टर-3/4	200	आवासीय	9	40000–55000
24	शताब्दी नगर सेक्टर-3/4	112.50 – 207.84	आवासीय	42	40000–55000
25	शताब्दी नगर सेक्टर-3/4	75.77	आवासीय	1	40000
26	जवाहरपुरम सेक्टर-4 व 12 व सेक्टर-14	112.50 – 300	आवासीय	9	38900
27	मंदाकिनी इम्लेव	112.50	आवासीय	1	55000
28	महादेव नगर विस्तार पार्ट-2	90–300	आवासीय	88	38900
29	दबीली वेरट एम०३आईएमी०-1 व 2	112–180	आवासीय	7	27000
30	मिर्जापुर	64.35–96.50	आवासीय	13	21100
31	महादेव नगर विस्तार	517–798	नर्सरी स्कूल	6	38900
32	गणेश शंकर विद्यार्थी नगर	239.71	नर्सरी स्कूल	1	38900
33	महादेव नगर विस्तार	1832.90	नर्सिंग होम	1	58350
34	मंदाकिनी इम्लेव	582	नर्सिंग होम	1	82500
35	कालिन्दी नगर	896	नर्सिंग होम	1	58350
36	शताब्दी नगर सेक्टर-4	977	पेट्रोल पम्प	1	78000
37	जवाहरपुरम	3195–3960	स्कूल/ कॉलेज	2	38900
38	शताब्दी नगर	1578–8999.61	स्कूल/ कॉलेज	5	40000–70000
39	रतनपुर विस्तार	2550	स्कूल/ कॉलेज	1	40590
40	महादेव नगर विस्तार	25.20–783.34	व्यवसायिक	125	77800
41	पनकी	260.3–271	व्यवसायिक	2	67500–74200
42	पनकी श्री सिंह रेस्ट एण्ड रिफ्रेश	1426.68	व्यवसायिक	1	96000
43	जवाहरपुरम सेक्टर-10	1012.50	व्यवसायिक	10	77800
44	शताब्दी नगर	112.50–200	व्यवसायिक	32	90000–105000
45	स्टेडियम (दुकान / कामप्लेक्स)	12.58–2713.20	व्यवसायिक	49	56700–139300
46	महादेव नगर विस्तार	1199.82–1443.54	प्राइमरी स्कूल	2	38900
47	कालिन्दी नगर/महादेव नगर	2103.73–6250.74	हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट	8	24000–38900

***ई ऑक्शन' के लिए अधिकृत हडसइड बैंक**

विस्तृत विवरण तथा नियम व शर्तें प्राधिकरण की वेबसाइट www.kdaindia.co.in के ई–ऑक्शन पोर्टल पर उपलब्ध है।
भूखण्डों के नम्बर एवं वास्तविक क्षेत्रफल/दर के सम्बन्ध में वेबसाइट पर देखकर ही पंजीकरण/बोली लगाएं।

भूखण्ड आवंटन के सम्बन्ध में निम्नलिखित शर्तें /नियम :–

1. जवाहरपुरम, महादेव विस्तार, मिर्जापुर नवयुजित योजना है जिस पर प्राधिकरण दर निर्धारित होने के कारण आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 द्वारा निर्गत शासनादेश सं0–1512/आठ–1–25/ई1820505 दिनांक 25.12.2025 के अनुसार भूखण्ड कार्नर होने की दशा में 05 प्रतिशत, पार्क फेसिंग होने की दशा में 05 प्रतिशत तथा 18 मी0 एवं उससे चौड़ी सड़क पर 05 प्रतिशत तथा तीनों गुण होने पर 12 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।2. उक्त के अतिरिक्त अन्य योजनाओं पर जिलाधिकारी दर निर्धारित होने के कारण निगमानुसार भूखण्ड कार्नर होने की दशा में 05 प्रतिशत, पार्क फेसिंग होने की दशा में 05 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त देय होगी। 3. उक्त भूखण्डों हेतु 12 प्रतिशत प्रीहोल्ड चार्ज अतिरिक्त देय होगा। 4. बोली न्यूनतम रू0 100.00 /वर्गमी0की होगी।5. शेष नियम व शर्तें ई–नीलामी पोर्टल पर अपलोड है।

अभय कुमार पाण्डेय — सचिव
अंकुर कौशिक — उपाध्यक्ष

www.kdaindia.co.in | kda.co.in | @kdakanpur | kdakanpur | kdakanpur

राजस्व वृद्धि, लाइन हानि घटाने और बिलिंग में सुधार के निर्देश

लखनऊ। ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव रणवीर प्रसाद ने वितरण निगमों को राजस्व बढ़ाने और लाइन हानियां कम करने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने उपभोक्ताओं को सही बिल उपलब्ध कराने तथा बेहतर सेवाएं देने पर जोर दिया।

यह निर्देश शक्ति भवन में मंगलवार को हुई साप्ताहिक समीक्षा बैठक में दिए गए।

बैठक में रणवीर प्रसाद ने बिजुत राजस्व, लाइन हानियों में कमी, बिलिंग व्यवस्था और परिवर्तकों की क्षतिग्रस्तता की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध

अमर उजाला

**यदि आपको अमर उजाला की प्रति नियमित या समय